

राजस्थान सरकार

वन विभाग

क्रमांक प. 11(1) वन/1978

जयपुर, दिनांक 16 NOV 2017

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक पूर्व आदेश दिनांक 01.03.2011 का अधिलंघन करते हुये माननीय राज्यपाल महोदय की ओर से राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभयारण्यों में अथवा उसके बाहर वन्य जीवों द्वारा जनहानि अथवा घायल किये जाने पर तथा राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभयारण्यों के वन क्षेत्रों के बाहर पालतू मवेशियों को मारे जाने पर निम्नानुसार मुआवजा/एक्सग्रेसिया राशि का भुगतान किये जाने की दरों के निर्धारण की स्वीकृति एतद् प्रदान की जाती है:-

क्र. सं०	श्रेणी	प्रकार	राशि
1.	जन श्रेणी	1. जनहानि होने पर	4,00,000
		2. स्थाई अयोग्य होने पर	2,00,000
		3. अस्थायी अयोग्य होने पर	40,000
2.	पालतू मवेशियों की श्रेणी	1. भैंस व बैल	20,000
		2. गाय	10,000
		3. भैंस व गाय का बच्चा	4,000
		4. बकरी/बकरा व भेड़	2,000
		5. ऊँट	20,000
		6. गधा/खच्चर	2,000

(सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण जारी होने की शर्त पर)

उक्त मुआवजा/एक्सग्रेसिया की दरों के संशोधन की सहमति संलग्न प्रक्रिया एवं निम्न शर्तों के अधीन निम्न मदशीर्ष से देय होगा:-

2406-वानिकी और वन्यजीवन, 02-पर्यावरण वानिकी और वन्य जीवन, 110-वन्य जीव परिरक्षण, 01 से 05 रणथम्भौर, सरिस्का वन क्षेत्रों का संधारण, घना पक्षी, राष्ट्रीय मरु उद्यान, 08-मुकुन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, 16-लघु निर्माण कार्य (केन्द्रीय परिवर्तित योजना)

1. मुआवजा/एक्सग्रेसिया का भुगतान शर्त प्रतिशत केन्द्रीय परिवर्तित योजना से वहन किया जायेगा तथा इससे राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
2. विभाग इस मद में अब तक व्यय की गई राशि का सम्पूर्ण पुर्नभरण केन्द्र सरकार से प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा।
3. विभाग उक्त व्यय करते समय राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों, तत्संबंधी नियमों व निर्धारित प्रक्रिया की पूर्ण पालना अपने स्तर पर किया जाना सुनिश्चित करेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आई0डी0 सख्या 171700959 दिनांक 05.10.2017 एवं 171701190 दिनांक 13.11.2017 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

आज्ञा से,

(योगेन्द्र कुमार दक)

शासन सचिव

प्रतिलिपि:—निम्नांकित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (होम), राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त।
4. समस्त जिला कलेक्टर।
5. समस्त मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान।
6. समस्त मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक, राजस्थान।
7. वित्त (व्यय-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

(गणेश कुमार वर्मा)
विशेषाधिकारी, वन

राष्ट्रीय उद्यान / वन्य जीव अभ्यारण्यों में अथवा बाहर उपर्युक्त जिलों द्वारा जन्तु हानि

जान पर मुआवजा / एक्सग्रेसिया जिम्ना शर्तों के अधीन देय होगा:-

जन्तु हानि मामले में :-

1. घटना की सूचना निकटतम पुलिस अथवा वन अधिकारी को देनी होगी । जिसका निरीक्षण उनके द्वारा ही किया जावेगा ।
2. घटना के बारे में शाराकीय चिकित्सक का प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा ।
3. प्राण हानि में मृत्यु प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा ।
4. मृतक के परिवार के सदस्यों में से विधि मान्य उत्तराधिकारी को ही क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जावेगी ।
5. यदि व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसका उपचार सक्षम चिकित्सा अधिकारी करेंगे तथा प्रमाण पत्र के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि देय होगी । घायल व्यक्ति स्वयं क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।
6. यह मुआवजा राशि ऐसे व्यक्ति को देय नहीं होगा जो हमले के समय वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत किसी अपराध करने हेतु राष्ट्रीय उद्यान / वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रविष्ट हुआ था अथवा किसी स्थल पर वन्य प्राणी सम्बन्धी किसी नियम विरुद्ध कार्य में लिप्त था / सहायक था ।
7. मुआवजा / एक्सग्रेसिया राशि का पुनर्भरण केन्द्र सरकार द्वारा शत प्रतिशत केन्द्रीय परिवर्तित योजना के अन्तर्गत किया जावेगा ।
8. मुआवजा / एक्सग्रेसिया राशि के भुगतान हेतु मण्डल वन अधिकारी / उप वन संरक्षक / उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक / उप निदेशक सक्षम होंगे तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी की अभिशंभा पर ही मुआवजा / एक्सग्रेसिया राशि देय होगी ।
9. राष्ट्रीय उद्यान / वन्य जीव अभ्यारण्य में वैद्य रूप से निवास कर रहे तथा इनके आस-पास व बाहर रह रहे किसी ग्रामवासी को शेर, बघेरे या अन्य हिंसक वन्य जीव द्वारा मृत्यु व स्थायी / अस्थायी रूप से असमर्थ (Incapacitate) करने पर इस आदेश में दर्शायी गयी राशि देय होगी ।
10. मृत्यु / अयोग्य (स्थायी / अस्थायी) होने का सक्षम शासकीय चिकित्सक से प्रमाण पत्र आवश्यक होगा

पशु हानि मामले में :-

1. घटना के 48 घंटों के अंदर सूचना निकटतम वन अधिकारी जो कि वनपाल या सहायक वनपाल से कम स्तर का ना हां उनको मवेशी के मालिक द्वारा सूचना दिया जाना आवश्यक होगा ।
2. मारे गए मवेशी के शव को घटना स्थल से तब तक नहीं हटाया जावे जब तक घटना की जांच स्थानीय वन अधिकारी द्वारा नहीं कर ली जाती है तथा उसके मांस में किसी प्रकार का विष अथवा घातक पदार्थ नहीं मिलाया गया हो ।
3. अभ्यारण्य / राष्ट्रीय उद्यान के वन क्षेत्र के बाहर मारे गये पशुओं को ही मुआवजा देय होगा । इस हेतु सक्षम पशु चिकित्सक का मृत्यु प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा ।
4. मुआवजा राशि का पुनर्भरण बाद में केन्द्र सरकार द्वारा यथा संभव शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत किया जावेगा ।
5. मुआवजा के भुगतान हेतु मण्डल वन अधिकारी / उप वन संरक्षक / उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक / उप निदेशक सक्षम होंगे तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी की अभिशंभा पर ही मुआवजा / एक्सग्रेसिया राशि देय होगी ।

20/11/12
शासन सचिव